न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 01/24

प्रार्थी :–

दीनाराम ईनाणियां पुत्र हिमताराम जाति जाट
निवासी गेमलियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

अप्रार्थीगण :–

-तहसीलदार रियांबड़ी

-पटवारी हल्का जसवंताबाद तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136–भू राजस्व – अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 18/6/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है :–

1–यह है कि मौजा जसवंताबाद की सरहद हमें स्थित पुराने खसरा नंबर 576 स्थित है। जिसमें प्रार्थी के पिता हिमता पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी गेमलियावास की खातेदारी दर्ज थीं।जिसके संबंध में संवत् 2030–2023 की खतौनी साथ में पेश है। परंतु वर्तमान खतौनी 2073–76 की जब प्रार्थी ने खतौनी की नकल निकलवाई तब प्रार्थी के पिता का नाम हिमता पुत्र जगमाल जाति मेघवाल निवासी गेमलियावास दर्ज कर दिया। उपरोक्त पुराने खसरान के वर्तमान खसरा नंबर 1590 रकबा 1.0200 हैक्ट, खसरा नंबर 1591 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा नंबर 1592 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नंबर 1593 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1594 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नंबर 1595 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 1596 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नंबर 1597 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 1598 रकबा 1.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1599 रकबा 2.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 1600 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नंबर 1601 रकबा 0.8600 हैक्टर, खसरा नंबर 1602 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नंबर 1603 रकबा 1.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1604 रकबा 1.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 1605 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 1608 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 1609 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 1615 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1616 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 1617 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल खसरे 21 कुल रकबा 18.3200 हैक्टर दर्ज हुए।

2–यह है कि उपरोक्त खसरान की आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में जाति के कॉलम में जाति जाट के स्थान पर जाति मेघवाल दर्ज चला आ रहा है। जो गलती से व मानवीय भूल या लिपिकीय भूल से दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के पिता की वास्तविक जाति जाट है। प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र अन्य खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड में जाति जाट दर्ज है। जिनकी फोटो प्रति साथ में पेश है।

3–यह है कि उक्त गलती की जानकारी प्रार्थी को अभी हाल ही में जब खतौनी की नकल प्राप्त की तब हुई। जिस पर प्रार्थी ने पटवारी हलका से उक्त गलती का सुधार करने का निवेदन किया,तब पटवारी हलका ने श्रीमान के न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। जिसे प्रार्थी उक्त गलती को सुधारने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

4–यह है कि उक्त गलती से प्रार्थी को भारी नुकसान हो सकता है। जिससे उक्त गलती को सुधारा जाना न्यायोचित है। जिससे प्रार्थी के पिता का नाम खातेदारी में हिमता पुत्र जगमाल जाति मेघवाल के स्थान पर हिमता पुत्र जगमाल जाति जाट संशोधित कर दर्ज किया जाकर सुधार करने हेतू प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कुल 21 खसरे कुल रकबा 18.3200 हैक्टर की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम हिमता पुत्र जगमाल जाति मेघवाल के स्थान पर हिमता पुत्र जगमाल जाति जाट दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार रियांबड़ी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने बाबत प्रार्थना पत्र भेजा गया। तहसीलदार रियांबड़ी ने बाद जांच के प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

या गया। तहसीलदार रियांबड़ी न`अपनी जांच रिपोर्ट में बताया गया कि मौजा जसवंताबाद के खसरा 1590 से 1605 व 1608, 1609, 1615 से 1617 कुल खसरा 21 कुल रकबा 18.3200 हैक्टर भूमि में ा पुत्र जगमाल जाति मेघवाल का 1/12 हिस्सा दर्ज है। जांच करने पर पाया गया कि हिमता पुत्र ाल जाति जाट की मृत्यु दिनांक 18.08.2008 को हो चूकी है। उक्त खसरान पर हिमताराम सह दार के रूप में था। वर्तमान हिमताराम के वारिसान का काश्त व कब्जा है। उपरोक्त खसरान में हिमता जगमाल जाति मेधावाल के स्थान पर हिमता पुत्र जगमाल जाति जाट किया जाना उचित बताया गया

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपन बहस में बताया गया कि प्रार्थी का नाम सवंताबाद के पुराने खसरा नंबर 576 में प्रार्थी के पिता नाम हिमता पुत्र जगमाल जाति जाट था । पुराने ब्रसरा के नये खसरा नंबर दर्ज करते वक्त सहवन या लिपिकीय गलती से प्रार्थी के पिता का नाम हिमता पुत्र जगमाल जाति मेघवाल दर्ज हो गया। खतोनी नकल पुरानी व वर्तमान श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रार्थी के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जाति जाट दर्ज है। अन्य दस्तावेजात में हिमता जाति जाट दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम हिमता पुत्र जगमाल जाति मेघवाल के स्थान पर हेमता पुत्र जगमाल जाति जाट दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने पक्ष में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल जमाबंदी संवत् 2021 से 2023 में भी जगमाल जाति जाट सह खातेदार के रूप में दर्ज है। तथा अन्य दस्तावेजात व अन्य जमाबंदी में भी जाति जाट दर्ज है। प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी हेमता पुत्र जगमाल जाति जाट दर्ज है। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पिता की जाति मेधवाल के स्थान पर जाट किया जाना उचित बताया गया है। अतः समस्त विवेचन एंव राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

" आदेश "

मौजा जसवंताबाद के खसरा नंबर 1590 रकबा 1.0200 हैक्ट, खसरा नंबर 1591 रकबा 0.5200 हैक्टर, ख़सरा नंबर 1592 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नंबर 1593 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1594 रकबा .4400 हैक्टर, खसरा नंबर 1595 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 1596 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नंबर 1597 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 1598 रकबा 1.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1599 रकबा 2.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 1600 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नंबर 1601 रकबा 0.8600 हैक्टर, खसरा नंबर 1602 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नंबर 1603 रकबा 1.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1604 रकबा 1.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 1605 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 1608 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 1609 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 1615 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1616 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 1617 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल खसरे 21 कुल रकबा 18.3200 हैक्टर की भूमि में 1/12 हिस्सा में हिमता पुत्र जगमाल जाति मेघवाल के स्थान पर हिमता पुत्र जगमाल जाति जाट संशोधन किया जाता है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्त अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम संशोधन किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी का तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/6/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)